कुलसचिव
**Registrar**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
**Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**
**Varanasi-2**
**Tel. No.- 0542 2222689**

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/14406/विधि आ0–38–2017/2017 दिनांक : 11 **अक्टूबर, 2018**

**स्मरण पत्र** –2

सेवा में,

**प्रबंधक/प्राचार्य,**
**अधोलिखित विधि महाविद्यालय,**
**सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।**

1. महाराज बलवन्त सिंह महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी
2. हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी
3. सुधाकर महिला विधि महाविद्यालय, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी
4. लोकबन्धु राज नारायण विधि महाविद्यालय, मोतीकोट, गंगापुर, वाराणसी
5. आर.एस. बनारस लॉ कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी
6. माँ खण्डवारी विधि महाविद्यालय, चहनियाँ,चन्दौली
7. श्रीमती कान्ती सिंह लॉ कॉलेज, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, चन्दौली
8. पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेंवा, चुनार, मीरजापुर
9. मथुरा कॉलेज ऑफ लॉ, पुरजागीर, मीरजापुर
10. राम ललित सिंह विधि महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मीरजापुर
11. ज्ञानन्दा लॉ कालेज अमरावती, विन्ध्याचल, मीरजापुर
12. संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैमूरपीठ, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

विषय : **भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) द्वारा निर्धारित अद्यतन सीट सम्बन्धी पत्र व अन्य अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक **कु0स0–2 बी स0अ0/12586/विधि आ0–38–2017/2017 दिनांक 07 अक्टूबर, 2017** एवं **कु0स0–2 बी स0अ0/12673/विधि आ0–38–2017/2017 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त विधि महाविद्यालयों को सूचित किया गया था कि अपने महाविद्यालय में संचालित विधि तृवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद **(Bar Council of India)** द्वारा अद्यतन सीट निर्धारण सम्बन्धी पत्र की सत्यापित प्रति, मानकानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, संविदा पत्र एवं वेतन भुगतान व आधार कार्ड की सत्यापित प्रति सहित विवरण एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु विश्वविद्यालय के उक्त आदेश का अनुपालन महाविद्यालयों द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद **(Bar Council of India)** द्वारा निर्धारित अद्यतन सीट से सम्बंधित अभिलेख सहित अन्य अभिलेख दिनांक <u>22.10.2018 तक</u> अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समयान्तर्गत विवरण उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में महाविद्यालय से सम्बंधित किसी भी कार्य को

11434
Received 11.10.18

...2

सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन/प्रशासन का होगा।

भवदीय,

**कुलसचिव**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, 21 राउज एवेन्यू इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110002
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा को इस आशय से कि समस्त विधि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही उक्त के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

**कुलसचिव**